पत्रांक–5 / वृ०श०परि० (जुडको)–26 / 2026 / न०वि०आ० ......42......

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

स्वीकृत्यादेश

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

सुनील कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
महालेखाकार का कार्यालय
पो०–डोरण्डा, राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार

राँची, दिनांक–...10/07/26

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में कोडरमा जिला अन्तर्गत Construction of Municipal Building at Jhumritelaya Nagar Parishad योजना हेतु कुल राशि 13,82,50,200/- रूपये (तेरह करोड़ बिरासी लाख पचास हजार दो सौ रू०) मात्र के तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः मुख्य अभियन्ता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में कोडरमा जिला अन्तर्गत Construction of Municipal Building at Jhumritelaya Nagar Parishad योजना हेतु कुल राशि 13,82,50,200/- रूपये (तेरह करोड़ बिरासी लाख पचास हजार दो सौ रू०) मात्र के तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त योजना हेतु M/s Mass N Void Design Consultants (A Pranav Group), New Delhi द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर मुख्य अभियन्ता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जिसका मुख्य अवयव निम्नलिखित हैः–

S.NO	PARTICULARS	AMOUNT
1	CIVIL WORK	5,98,80,016.83
2	ELECTRICAL WORKS	1,21,76,318.34
3	PLUMBING WORKS	40,17,487.46
4	FIRE FIGHTING WORKS	58,55,964.98
5	HVAC WORK	37,15,164.68
6	FURNITURE WORKS	1,11,88,138.28
7	AUDIO VISUAL SYSTEM	36,33,602.00
8	SEPTIC TANK	7,18,050.00
9	GUARD ROOM	2,78,168.09
10	BORE WELL	2,76,125.19
11	RAIN WATER HARVESTING	2,41,516.75
12	BOUNDARY WALL	25,31,395.64
13	ROAD AND PARKING	22,38,136.42
14	HORTICULTURE WORKS	2,75,015.13
15	SIGNAGE WORKS	4,63,900.00
16	EXISTING DISMANTALING WORK	11,50,612.08
	TOTAL (A)	**10,86,39,611.87**
	ADD GST @ 18% ON (A)	1,95,55,130.14

ajit/mu 26-27

	TOTAL -(B)	**12,81,94,742.01**
	ADD LABOUR CESS @ 1% ON (B)	12,81,947.42
	ADD JUIDCO FEE UPTO 10 CR @ 7 %	70,00,000.00
	ADD JUIDCO FEE UPTO 10 CR TO 100 CR @ 5 %	14,09,737.10
	ADD CONSULTANCY FEE	3,63,750.00
	TOTAL PROJECT COST	**13,82,50,176.53**
	SAY	**13,82,50,200.00**

A2 10/07/26

2. उक्त योजना का वित्त पोषण वित्तीय वर्ष 2026–27 एवं उतरोत्तर वर्षों में निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगाः–

क्र०	योजना कार्य	बजट शीर्ष
i	योजना कार्य	मुख्यशीर्ष–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–60–अन्य शहरी विकास योजनाएँ–लघुशीर्ष–051–निर्माण/789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना/796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना (OSP/SCSP/TSP)–उपशीर्ष–51–वृहत शहरी परियोजना एवं नागरिक आधारभूत संरचना–उपयोजना शीर्ष–01–Major Urban Projects and Civic Infrastructure (24000906)–विस्तृत शीर्ष–05– निर्माण–45 –निर्माण कार्य। विपत्र कोड–48-S-4217-60-051/789/796-51-01-05-45
ii	परामर्शी सेवा	मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगमो को सहायता/796–जनजातिय क्षेत्र उप योजना (OSP/TSP)–उपशीर्ष–38–शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान–00–शहरी स्थानीय निकायों में मास्टर प्लान, नगर विकास प्लान, DPR निर्माण एवं PMC सेवाएँ विस्तृत शीर्ष–06 –अनुदान–79–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48-S-2217-80-191/ 796-38-00-06-79

3. उक्त योजना का कार्यान्वयन जुडको लिमिटेड, राँची के द्वारा किया जाएगा। जुडको लिमिटेड द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रशासनिक स्वीकृत योजना का खुली एवं प्रतिस्पर्द्धी निविदा के माध्यम से तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार कार्यान्वयन गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। उक्त योजना का कार्यान्वयन की भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को हर माह की 5वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा इस राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, राँची से की जाएगी। निविदा निष्पादन के उपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु जुडको लिमिटेड, राँची से राशि आवंटन की अधियाचना किये जाने पर विभाग द्वारा राशि आवंटन की कार्रवाई की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो। ऐसी स्थिति आने पर इसके निराकरण हेतु सूचना विभाग को ससमय देंगे।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561 दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

7. उक्त योजना के कार्यान्वयन की अवधि 18 माह होगी। योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा जुडको लि० को निम्नरूपेन वित्तपोषण किया जाएगाः–

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि (प्रतिशत में)
i	2026-27	67%
ii	2027-28	33%

8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5/वृ०श०परि० (जुडको)–26/2026/न०वि०आ० 42 राँची, दिनांक– 10/07/26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/परियोजना निदेशक (तकनीकी/वित्त) जुडको लिमिटेड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार /नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योमेन्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री उत्कर्ष कुमार, मैनेजर आई.टी. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ajit/mu 26-27